राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी:–

अभिलाषा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 80/2020

1. रामकुमार पुत्र सुरजाराम जाति नायक निवासी सेही कलां तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राज0

..............वादी

बनाम

1. पुजा पुत्री प्रेमी जाति नायक निवासी अडूका तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनूं।
2. बरजी पत्नी प्रेमी जाति नायक निवासी अडूका तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनूं।
3. मंजू पुत्री प्रेमी जाति नायक निवासी अडूका तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनूं।
4. मनिषा पुत्री प्रेमी जाति नायक निवासी अडूका तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनूं।
5. राहुल पुत्री प्रेमी जाति नायक निवासी अडूका तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनूं।
6. सपना पुत्री प्रेमी जाति नायक निवासी अडूका तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनूं।
7. रधुवीर प्रसाद पुत्र मालाराम जाति नायक निवासी अडूका तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनूं।
8. उप पंजीयक अधिकारी सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनूं।
9. तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) सूरजगढ तहसील सूरजगढ जिला झुंझुनूं।

.........प्रतिवादीगण

दावा –खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

–:निर्णय:–

दिनांक :– 25/2/21

वादी की ओर से वाद पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है कि –

(क) जमीन हाल खसरा नम्बर 500 रकबा 2.41 है. वाके ग्राम आडूका तहसील सूरजगढ का वादी एवं प्रतिवादीगण नम्बर 1 ... 7 में विधिवत् विभाजन किया जाकर वादी का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अलग किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी की जावे। और बाद में विभाजन प्रस्ताव आने पर अंतिम डिक्री जारी की जावे।

(ख) प्रतिवादीगण 1 लगायत 7 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि ... वर्णित धारा 1 वाद पत्र को बिना विधिवत विभाजन करवाये विक्रय नही करें ... के

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 16:51:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़

Scanned with CamScanner

हिस्से में जबरदस्ती कब्जा नही करे, न अपने एजेन्ट से करवाये न पेड काटे , न रहन रखे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण की जारी की गई । प्रतिवादीगण की सम्यक तामील हुई।

वादी की ओर से साक्ष्य दस्तावेज में नकल जमाबंदी पेश किए गए। न्यायालय द्वारा वाद वादी दिनांक 29.01.2021 को विभाजन प्रस्ताव हेतु प्राथमिक निर्णय जारी होकर दिनांक 12.02.2021 को प्राथमिक डिक्री की गई। तहसीलदार सूरजगढ को विभाजन प्रस्ताव हेतु तहरीर जारी की गई। तहसीलदार सूरजगढ के पत्र क्रमांक 316 दिनांक 17.02.2021 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव भिजवाये गये।

बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। पक्षकारान द्वारा तहसीलदार सूरजगढ द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव पर अंतिम डिक्री जारी करने पर सहमति लिखित में पेश की गई। अतः न्यायालय मुताबिक विभाजन प्रस्ताव डिक्री किया जाना उचित पाता है।

–:: आदेश ::–

न्यायालय वाद वादी बावत खाता व लगान विभाजन डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके **ग्राम अडूका** तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राज0 में स्थित भूमि हाल खसरा नम्बर 500 रकबा 2.41 है0 भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगा. 2" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव " अ–1 लगा. 2" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार सूरजगढ को राजस्व रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के विरूद्ध दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

(अभिलाषा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना
उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ

निर्णय आज दिनांक 25/2/21 को मेरे द्वारा लिखाकर बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय के मुद्राकिंत सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 16:31:22 IST
Reason: SelfAttested

(अभिलाषा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना
उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ

Scanned with CamScanner